भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3870** जिसका उत्तर
गुरूवार, **18 मार्च**, 2021/27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग

†3870. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के लिए कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के लिए क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की हजीरा (सूरत) से दीव और गोवा तक रो-रो फैरी सेवा आरंभ करने की योजना है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

(क): देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016, जो 12 अप्रैल, 2016 को प्रभावी हुआ, के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने निर्णय लिया कि 23 रा.ज. को कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य पाया गया है। इनमें से 13 रा.ज. में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य 23 रा.ज. की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है।

(ख): विभिन्न राज्यों में कार्गो आवागमन सहित नौचालन और नौवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों पर शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(ग): जी, हां। सागरमाला विकास निगम लिमिटेड ने अभी हाल ही में रो-रो/रो-पैक्स/फैरी सेवाओं के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की हैं, जिसमें हजीरा से दीव तक फैरी सेवाएं शामिल हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों मार्गों सहित, कुल 82 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अनुबंध-1

कार्गो आवागमन के लिए व्यवहार्य पाए गए 23 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.	जलमार्गो का ब्यौरा	राज्य	स्थिति
1.	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक **जलमार्ग विकास परियोजना** की सहायता से विकासात्मक कार्य किए गए
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	ब्रह्मपुत्र नदी (धुब्री-सादिया)	असम	वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए स्वीकृत किए गए एसएफसी के अनुसार किए गए विकास कार्य
3.	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	बराक नदी	असम	
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	केरल	अधिकांशत: प्रचालनात्मक जलमार्गों तथा विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	कृष्णा नदी (विजवाड़ा-मुक्तयला)	आंध्र प्रदेश	
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	मंगलागढ़ी से पानकोपल से होते हुए धमरा-पराडियो	ओडिशा	
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	अलाप्पुझा -चंगनसरी नहर	केरल	
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	अलाप्पुझा -कोट्टायम - अथिरमपुजा नहर	केरल वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.	

9.	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	कंबरजुआ नदी	गोवा	
10.	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	माण्डवी नदी	गोवा	
11.	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	रूपन्नारायण नदी	पश्चिम बंगाल	
12.	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल	
13.	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	ज़ुआरी नदी	गोवा	
14.	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	अंबा नदी	महाराष्ट्र	एसएफसी/ईएफसी की स्वीकृति के पश्चात् कार्य किया जाएगा।
15.	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	इच्छामती नदी	पश्चिम बंगाल	
16.	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	काली नदी	कर्नाटक	
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	कोपिली नदी	असम	
18.	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड के तहत अधिकतर मात्रा में कार्गो का आवागमन ज्वारीय जल/नदी के मुहाने में होता है। अभी तक आईडब्ल्यूएआई द्वारा किन्ही मध्यवर्ती कार्यों पर विचार नहीं किया गया है।
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग 83	राजपुरी क्रीक	महाराष्ट्र	
20.	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	रेवदंडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र	
21.	राष्ट्रीय जलमार्ग 91	शास्त्री नदी -जयगढ़ क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र	
22.	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	सोन नदी	बिहार	
23.	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	

अनुबंध-2

विभिन्न राज्यों में कार्गो आवागमन सहित नौचालन और नौवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों पर शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा

- पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) (हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली); असम में रा.ज.-2 (धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी); केरल में रा.ज.-3 (चंपक्करा और उद्योगमंडल नहर के साथ कोट्टपुरम से कोल्लम तक वेस्ट कोस्ट नहर) को पहले ही कार्गो की चढाई उतराई के लिए यांत्रीकृत उपकरण संभलाई सुविधाओं के साथ फेयरवे, नौचालन सहायकों, जेट्टियों और टर्मिनलों सहित विकसित किया गया है। ये रा.ज. प्रचालनरत हैं और इन पर जलयान चल रहे हैं। इन जलमार्गों के प्रचालन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं को वार्षिक आधार पर शुरू किया जाता है।
- सरकार, बड़े बार्जो के आवागमन के लिए विश्व बैंक की तकनीकी और आर्थिक सहायता के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) पर गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर नौचालन की क्षमता आवर्धन के लिए 5369.18 करोड रु. (संशोधित लागत 4633 करोड़ रु.) की अनुमानित लागत से जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित कर रही है।

जल मार्ग विकास परियोजना (रा.ज.-1) परियोजना - दिनांक 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति

यह परियोजना दिसंबर, 2023 में पूरी होने के नियोजन के साथ समय अनुसूची के अनुरूप प्रगति कर रही है। इस परियोजना ने जेएमवीपी की संशोधित लागत के लगभग 39.15% की सकल वित्तीय प्रगति हासिल कर ली है और वास्तविक प्रगति लगभग 40.85% है। वाराणसी और साहिबगंज में मल्टी-मोडल टर्मिनलों का निर्माण पूरा हो चुका है और हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनल तथा फरक्का में नौचालन लॉक में क्रमश: 96.85% और 80.37% की महत्वपूर्ण भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। फरक्का-कहलगांव, सुल्तानगंज-महेंद्रपुर और महेंद्रपुर-बार्ह के बीच जलखंड 3 मीटर की न्यूनतम सुनिश्चित गहराई (एलएडी) तथा 45 मीटर की तल चैनल चौड़ाई उपलब्ध कराने के लिए क्रमश: दिनांक 09 अप्रैल, 2018, 12 अप्रैल, 2019 और 12 अप्रैल, 2019 को करार सौंपे गए हैं और क्रमश: 82.92 करोड़ रु. (177 करोड़ रु. में से), 28.83 करोड़ रु. (159.30 करोड़ रु. में से) और 30.19

करोड़ रु. (182.90 करोड़ रु. में से) की वित्तीय प्रगति के साथ प्रगति पर हैं। एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आईआईटी मद्रास सहित विशेषज्ञ समिति के साथ परामर्श से ड्रेजिंग प्रबंधन योजना (डीएमपी) तैयार की गई है और कार्यान्वयन के लिए आईडब्ल्यूएआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।

(ii) जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) - चरण-II:

इसके साथ ही, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित "अर्थ गंगा" के कार्यक्रम उद्देश्यों को जेएमवीपी चरण-II के परियोजना विकास के उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्लवमान सामुदायिक जेट्टियों, रो-रो और रो-पैक्स जेट्टियों का विकास, फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक का आधुनिकीकरण, 746 करोड़ रु. की कुल अनुमानित लागत से रा.ज.-1 के साथ सड़क संपर्कता प्रदान करते हुए नदी क्रूज एवं यात्री फेरी टर्मिनल शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदायों/हितधारकों और रा.ज.-1 के किनारों पर स्थित उनके लघु/सूक्ष्म उद्योगों और निकटस्थ शहरी और विपणन केंद्रों के बीच रा.ज.-1 के माध्यम से संपर्कता बढ़ाना भी है ताकि क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। संस्थागत और क्षेत्रगत क्षमता आवर्धन भी अर्थ गंगा कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

2. जलमार्ग संपर्कता के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास:

(i) वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपर्कता के लिए आईडब्ल्यूटी परियोजनाओं की यथास्थिति:

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**यथास्थिति**
क	**ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज.-2)**	
1	वार्षिक फेयर-वे विकास और अनुरक्षण कार्य	इस कार्य में नियमित वार्षिक गतिविधियां जैसे जलीय सर्वेक्षण, बेंडलिंग, ड्रेजिंग, वार्षिक आधार पर रा.ज.-2 में पहले से ही तैनात जलयानों का प्रचालन, प्रबंधन और मैनिंग शामिल हैं।
2	नौचालन सहायकों का ओएंडएम	दिन के नौचालन सहायकों, रात्रि के नौचालन सहायकों तथा डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) स्टेशनों, जो कि पहले से ही स्थापित हैं, का प्रचालन एवं अनुरक्षण नियमित वार्षिक गतिविधियों के रूप में किया जाता है।

3	टर्मिनलों का ओएंडएम	नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2 स्थायी और 11 प्लवमान टर्मिनलों का निर्माण किया गया था: <u>स्थायी टर्मिनल</u>: (i) पांडु, और (ii) धुबरी <u>प्लवमान टर्मिनल</u>: (i) हतसिंगीमारी (ii) धुबरी (iii) जोगीघोपा, (iv) तेजपुर (v) सीलघाट (vi) बिस्वनाथघाट (vii) नियामती (viii) सेंगाजन (ix) बोगीबील (x) डिब्रूगढ़/ ओकलैंड, और (xi) ओरियमघाट।
4	चार रो-पैक्स जलयानों (200 यात्री, 2 ट्रक और 4 कार) की खरीद	जलयान असम सरकार को सौंप दिए गए हैं और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा फरवरी, 2021 में इनका उद्घाटन किया गया था।
5	पांडु में पोत मरम्मत सुविधा (स्लिपवे) का निर्माण	पीपीपी मोड के माध्यम से पोत मरम्मत सुविधा के विकास के लिए कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) से कार्य को शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

ख: <u>बराक नदी (रा.ज.-16)</u>

1	श्रीधरपुर (95कि.मी.) से भांगा (121कि.मी.) **जलखंड ग** के बीच नौचालन सहायकों के साथ 2 मीटर की न्यूनतम उपलब्ध गहराई के लिए ड्रेजिंग और फेयर-वे अनुरक्षण प्रदान करना	सिलचर से मांगा तक रा.ज.-16 के चरण-1 के लिए 76.01 करोड़ रु. की लागत से विकास कार्य शुरू हो गया है। इसमें अनुरक्षण ड्रेजिंग (आवश्यकता के अनुसार पूरी हो चुकी है), बदरपुर और करीमगंज में टर्मिनलों का उन्नयन शामिल है। सीमित अवसंरचना सुविधा के साथ जलमार्ग प्रचालनरत है।

ग: भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग:

भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच 08 अप्रैल, 2017 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार 80:20 की लागत हिस्सेदारी पर 07 वर्षों के लिए 2.5 मीटर गहरा एवं 30 मीटर चौड़ा

नौचालन चैनल उपलब्ध कराने के लिए भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर सिराजगंज से दाईखोवा (175 कि.मी.) और आशुगंज से जाकीगंज (295 कि.मी.) तक के फेयर-वे के विकास के लिए ड्रेजिंग शुरू हो चुकी है। आशुगंज-जाकीगंज जलखंड में मार्च, 2019 में शुरू हुई ड्रेजिंग जनवरी, 2021 तक 40.33%, तथा सिराजगंज-दाईखोवा जलखंड में अप्रैल, 2019 में शुरू हुई ड्रेजिंग जनवरी, 2021 तक 66.65% तक पूरी हो गई है।

- चरण-। के तहत आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के विजयवाडा-मुक्तयाला जलखंड (रा.ज.-4 का भाग) में फेयर-वे विकास कार्य पूरे किए गए हैं। 3 फ्लोटिंग पोनटून का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से इब्राहिमपट्टनम, हरिश्चंद्रपुरम, मुक्तयाला और माडीपाडु में स्थायी टर्मिनलों (4) के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है।

*****